



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22610

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

[ए.एफ.आर.]

लखनऊ

रिट ए संख्या 2632 सन् 2008

हनुमंत सिंहयाची (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव एवं 4 अन्यप्रत्यर्थी (गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : एस.पी. सिंह, पंकज शुकला

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., आई.पी. सिंह, एम.बी. सिंह, प्रमोद कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति इरशाद अली

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी-राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री एस.जी. सिंह और विपक्षी-प्रबंध समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के. सिंह को सुना गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने विपक्षी संख्या 5 द्वारा पारित रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या-1 के रूप में अंतर्विष्ट दिनांक 16.2.2008 के आक्षेपित सेवा-समाप्ति आदेश को अपास्त करने वाले उत्प्रेषण की प्रकृति की रिट जारी किए जाने की प्रार्थना की है, तथा इसके साथ ही यह परमादेश जारी करने की प्रार्थना की है कि विपक्षियों को निर्देशित एवं आदेशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता को उपरासी के पद पर यथापूर्व कार्य करते रहने की अनुमति दें तथा उसे सभी परिणामी लाभों सहित नियमित रूप से वेतन और भत्ते का भुगतान करें।
3. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि याचिकाकर्ता के पिता कान्हा शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, कहिना बाजार, जिला रायबरेली में दफ्तररी के रूप में कार्यरत थे, जिनकी सेवाकाल के दौरान 20.4.2003 को मृत्यु हो गई थी। याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया तथा उसे माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अध्याय III के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के विनियम 103 से 109 के अधीन 2.8.2003 को नियुक्ति प्रदान की गई। नियुक्ति आदेश के अनुपालन में, संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा 7.8.2003 को कार्यभार ग्रहण पत्र जारी किया गया और उसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने संस्था में कार्यभार ग्रहण किया तथा प्रश्नाधीन संस्था में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू कर दिया।

याचिकाकर्ता 24.4.2006 और 25.4.2006 को दो दिनों के लिए कर्तव्यों से अनुपस्थित रहा और उसके पश्चात, वह संस्था में कार्यभार ग्रहण करने आया तथा संस्था के प्रधानाचार्य ने कर्तव्य से

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अनुपस्थिति के संबंध में 27.4.2006 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने 22.5.2006 को प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा 30.6.2006 को याचिकाकर्ता को पुनः नोटिस जारी किया गया और उसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने दो दिनों की कर्तव्य से अनुपस्थिति के संबंध में 1.7.2006 को विस्तृत प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। संस्था के प्रधानाचार्य ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध मामले में कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किए बिना 16.2.2008 का सेवा-समाप्ति आदेश पारित कर दिया है।

व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दाखिल की है जिसमें 22.5.2008 को एक अंतरिम आदेश प्रदान किया गया था, जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है:

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.पी. सिंह और विद्वान स्थायी काउंसिल को सुना गया।

याचिकाकर्ता ने इससे पूर्व वेतन के भुगतान के लिए रिट याचिका संख्या 664 (एस/एस) 2008 दाखिल की थी। अब, आक्षेपित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत, आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया प्रतीत होता है।

तदनुसार, इस न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक, डी.आई.ओ.एस. के अनुमोदन के अधीन याचिकाकर्ता को वेतन का भुगतान किया जाएगा और याचिकाकर्ता का सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी।

जुलाई, 2008 माह में सूचीबद्ध करें।"

अंतरिम आदेश के अनुपालन में, विपक्षी-प्रबंध समिति और संस्था के प्रधानाचार्य के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई थी और वेतन का भुगतान किया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह प्रस्तुतिकरण है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किए बिना आक्षेपित सेवा-समाप्ति आदेश पारित कर दिया गया है, इसलिए यह शून्यता से ग्रसित है और विधि के अनुसार टिकने योग्य नहीं है। इंटरमीडिएट कॉलेज के किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के संबंध में, विनियम 31 और उसके आगे की व्यवस्था के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, किन्तु वर्तमान मामले में कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। मामले की इस स्थिति को देखते हुए, आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि से दूषित है और अपास्त किए जाने योग्य है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का अगला प्रस्तुतिकरण यह है कि रिट याचिका में प्रदान किए गए अंतरिम आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई थी और वेतन का भुगतान किया गया था, जिस तथ्य से विपक्षी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंकार नहीं किया गया है।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री एस.जी. सिंह का यह कथन है कि प्रति-शपथपत्र (काउंटर एफिडेविट) में यह ब्यौरा दिया गया है कि याचिकाकर्ता संस्था में कार्य नहीं कर रहा है और उसे आज दिनांक तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के परस्पर विरोधी प्रस्तुतिकरणों को सुनने के पश्चात, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

8. रिट याचिका के प्रस्तर² में, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि आक्षेपित आदेश बिना नोटिस जारी किए और उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया है, इसलिए आक्षेपित आदेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के घोर उल्लंघन में पारित किया गया है। इस तथ्य का प्रति-शपथपत्र में अथवा इस न्यायालय के समक्ष मौखिक प्रस्तुतिकरण में विपक्षियों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा खंडन नहीं किया गया है।

9. इस न्यायालय की राय में, दिनांक 16.2.2008 का आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना आदेश पारित किए जाने के तथ्य के दृष्टिगत, आक्षेपित आदेश को अपील में चुनौती नहीं दी गई है।

10. वर्ल्डपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार रिपोर्ट (1998) 8 एससीसी 1 : 1998 एससीसी ऑनलाइन एससी 663 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि आदेश पूर्णतः अधिकारिता के बिना पारित किया गया हो और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया हो, तो सांविधिक वैकल्पिक उपचार कोई बाधा नहीं है।

11. उपर्युक्त दर्ज किए गए कारणों तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, इस न्यायालय की यह विचारित राय है कि बिना अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किए और बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए आक्षेपित आदेश दिनांक 16.2.2008 पारित किया गया है।

12. तदनुसार, यह रिट याचिका सफल होती है और सभी परिणामी लाभों सहित स्वीकार की जाती है।

13. तथापि, विपक्षियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्य करते रहने की अनुमति दें और उसे हर महीने नियमित रूप से वेतन का भुगतान करें।

(न्यायमूर्ति इरशाद अली,)

31 मार्च, 2026

जी.के. सिन्हा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"